



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ-226006

पत्रांक:टीएस-सीसीटीएनएस-06 / 2010-9
सेवा में,

दिनांक:लखनऊ:नवम्बर 24, 2017

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे।

समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे।

समस्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए), उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीसीटीएनएस पोर्टल के (CAS) 4.5 वर्जन पर अपराध एवं अन्य प्रपत्रों के पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में CCTNS 4.5 में गुण्डा/ 110 जी के पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु यूजर मैनुअल प्रेषित किया जा रहा है।

2. अपराधों के पर्यवेक्षण विभिन्न स्तर पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है। उपरोक्त सन्दर्भित पर्यवेक्षी टिप्पणी (supervisory comments) प्रपत्र में भी कैसे दर्ज की जायेगी, तत्संबंधी CCTNS 4.5 में गुण्डा/ 110 जी के पंजीकरण की प्रक्रिया स्वतः स्पष्ट मार्ग-दर्शिका आपके उपयोगार्थ भेजी जा रही है।

3. उपरोक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि अपने थानास्तर से जोन स्तर की मीटिंग कर इस यूजर मैनुअल से सभी को अवगत करा दें ताकि इसका शीघ्र उपयोग प्रारम्भ हो सके।
संलग्नक—यथोपरि।

dk 24/11

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

- पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- पुलिस महानिदेशक के सहायक एवं पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- श्री प्रमोद कुमार, प्रोग्रामर ग्रेड-2, प्रभारी नॉक सेण्टर, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तकनीकी सेवाएं को कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं आख्या उपलब्ध कराने हेतु।
- प्रभारी ईमेल को पत्र मेल प्रेषित किये जाने व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

CCTNS 4.5 में गुण्डा/110G के पंजीकरण की प्रक्रिया

Step 1 - सर्वप्रथम आनलाइन SHO/SO/स्टेशन राइटर (SW) की आईडी0 ओपन करेंगे।

Step 2 - उसके बाद निवारक कार्यवाई की जीडी जमा करेंगे।

Step 3 - उसके बाद पंजीकरण के टैब में निवारक कार्यवाई में निवारक कार्यवाई/इस्तगासा/कलदंर का पंजीकरण पर क्लिक करेंगे।

- (i) निवारक कार्यवाई/इस्तगासा/कलदंर पंजीकरण में सर्वप्रथम सामान्य सूचना में विवरण भरेंगे।
- (ii) अधिनियम और धारा के टैब में धारायें जोड़ेंगे।
- (iii) याचिकाकर्ता विवरण में जिसके द्वारा निवारक कार्यवाई की गई उसका नाम एवं पता भरेंगे।
- (iv) अभियुक्त का विवरण में जिस अभि0 का गुण्डा या 110G किया गया है उसका नाम एवं पता भरेंगे।
- (v) गवाह का विवरण में कम से कम दो गवाहों को जोड़ेंगे।
- (vi) हादसा विवरण में घटना का संक्षिप्त विवरण भरेंगे।
- (vii) जमानत राशि विवरण में दो आप्शन उपलब्ध हैं-
 - (a) उपलब्ध एवं (b) उपलब्ध नहींदोनों में किसी का भी चयन करके विवरण भरेंगे।
पंजीकरण होने के बाद एक मैसेज शो करेगा कि निवारक विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया है, पंजीकरण संख्या में/2017 शो होगा।

(विमर्श द्विवेदी)

कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए)

गाजीपुर सीओ सर्किल, लखनऊ

मो0नं0 7007855054